# न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या–2016/2023

**CNR No. UPAU120041102023**

जयकिशोर बनाम वीरेन्द्र सिंह आदि

थाना बिधूना, जिला औरैया।

**दिनांक–07.12.2024**

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को बहस तलबी के बिन्दु पर पूर्व में सुना गया।

परिवादी का संक्षेप में कथन है कि घटना दिनांक 17.09.2023 को समय 10:00 बजे सुबह विपक्षीगण के गॉव गया और अपने पन्द्रह लाख रुपये, हार, चैन, तीन अंगूठी, पायल दो जोड़ी, कान के टोप्स, गले का पेंडिल, नाक का टॉप्स जेवरात उधार के रुप में लिए थे। प्रार्थी के मांगने पर विपक्षीगण ने गाली गलौज व मारपीट की। प्रार्थी ने अपने फोन से 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना देनी चाही, तो विपक्षी संख्या 2 व 3 ने मोबाइल छीनकर तोड़ दिया। परिवादी के साथ विपक्षीगण ने धोखाधड़ी की। उसने उक्त घटना की शिकायत थाना बिधूना में की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिर प्रार्थी ने उक्त घटना की ऑनलाइन आईजीआर दिनांक 18.09.2023 को की। दिनांक 24.10.2023 को फोन द्वारा क्षेत्राधिकारी, बिधूना द्वारा बुलाया गया तथा दिनांक 26.10.2023 को क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया एवं बयान दर्ज कराये और कहा कि घर जाओ कार्यवाही करेंगे। तब से लेकर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दिनांक 01.12.2023 को पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को जरिये डाक से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अपने बयान में सशपथपूर्वक कथन किया है कि ''गॉव रुपपुर सहार में वीरेन्द्र सिंह पुत्र जगमोहन सिंह के परिवार को मैंने पन्द्रह लाख रुपये एवं सोने व चांदी के जेवरात उधार के रुप में दिये थे। मैं वीरेन्द्र व उसकी पत्नी सन्तोष कुमारी को नोएडा से जानता हूॅ। वह लोग मेरे मित्र हैं। मैंने कई बार में कुल पन्द्रह लाख रुपये वीरेन्द्र व उसके परिवार वालों को उधार के रुप में भरोसे पर दिये। मैं दिनांक 17.09.2023 को अपने पैसे व जेवर वापस लेने को वीरेन्द्र के घर उसके गॉव रुपपुर सहार, थाना बिधूना, औरैया गया। मुझे वीरेन्द्र व उसके परिवार के सभी लोग उसकी पत्नी सन्तोष, पुत्र मोनू, पुत्री सोनी व अन्य दो अज्ञात लोगों ने मेरे साथ गाली–गलौज करते हुए मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। मैं थाने गया था, परन्तु रिपोर्ट दर्ज नहीं की। मैं जब 112 नम्बर डायल कर रहा था, तो वीरेन्द्र ने मुझे धक्का दिया व मेरा फोन तोड़ दिया। घटना दिनांक 17.09.2023 को समय सुबह करीब 10:00 बजे की है। मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की थी। मैं सी.ओ. बिधूना के कहने पर दिनांक 26.10.2023 को बिधूना वापस आया व अपना बयान व प्रार्थना पत्र दिया। मैंने एस.पी. को भी पत्र प्रेषित किया, पर कार्यवाही नहीं हुई।''

परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–200 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को तथा धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 बृजभान सिंह व पी0डब्ल्यू0–2 शिववीर को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने परिवादी के कथनों का आंशिक रुप से समर्थन किया है।

प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवादी द्वारा क्षेत्राधिकारी बिधूना, जिला औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, औरैया को प्रेषित प्रार्थना पत्र

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2024.12.07 16:49:09 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

की छायाप्रति, ऑनलाइन शिकायती प्रार्थना पत्र की छायाप्रति, शपथ पत्र, मूल रजिस्ट्री रसीद, छः किता छायाप्रति कैश मैमो, चालीस किता छायाप्रति ऑनलाइन पेमेन्ट दाखिल किये गये हैं।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद में यह कथन किया गया है कि वह दिनांक 17.09.2023 को अपने पन्द्रह लाख रुपये व जेवरात हार, चैन, तीन अंगूठी, पायल दो जोड़ी, कान के टोप्स, गले का पेंडिल, नाक का टॉप्स वापस लेने के लिए विपक्षीगण के गॉव रुपपुर सहार गया था, तब विपक्षीगण ने उसके साथ गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी एवं कहा कि तुम्हारे जेवरात व रुपये वापस नहीं करेंगे तथा उसका फोन छीनकर तोड़ दिया। परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया कि उसने पन्द्रह लाख रुपये एवं सोने व चांदी के जेवरात विपक्षीगण को उधार के रुप में दिये थे। वह वीरेन्द्र के घर रुपपुर सहार गया था, जहॉ पर उसके साथ विपक्षीगण वीरेन्द्र, मोनू, सोनी व सन्तोष कुमारी एवं अन्य दो लोगों ने गाली–गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी तथा उसका फोन तोड़ दिया। साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 बृजभान सिंह व पी0डब्ल्यू0–2 शिववीर ने बयान धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परीक्षित कराया गया, जिन्होंने अपने बयानों में दिनांक 17.09.2023 को समय 10:00 बजे विपक्षीगण वीरेन्द्र, मोनू, सोनी व सन्तोषी कुमारी द्वारा परिवादी के साथ मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में घटना का समर्थन किया है। जहॉ तक परिवादी के द्वारा रुपये के लेन–देन के सम्बन्ध में दाखिल छायाप्रति पेमेन्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तथा जेवरात के सम्बन्ध में दाखिल कैश मैमो की छायाप्रति का प्रश्न है, तो कैश मैमो सोनी भदौरिया के नाम है। परिवादी के द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि सोनी भदौरिया से परिवादी का क्या रिलेशन है। पेमेन्ट ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि किसके बैंक खाते से किसके बैंक खाते में रुपयों का लेन–देन हुआ है।

इस प्रकार पत्रावली पर वर्णित तथ्यों, साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1, व 2 के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 तथा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण के द्वारा परिवादी के साथ मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने से सम्बन्धित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2, 3 व 4 क्रमशः वीरेन्द्र सिंह, मोनू, सोनी व सन्तोष कुमारी के विरूद्ध धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त प्रतीत होते हैं।

## आदेश

अभियुक्तगण **वीरेन्द्र सिंह, मोनू, सोनी व सन्तोष कुमारी** के विरूद्ध **धारा–323, 504, 506 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 16.01.2025 को पेश हो।

**(प्रवीण सिंह)**
**सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,**
**बिधूना, औरैया।**
**J.O. Code: UP3441**

दिनांक 09.08.2023 को समय करीब 10 बजे रात्रि विपक्षीगण द्वारा उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट व गाली–गलौज की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी। गले में रस्सी डालकर जान से मारने का प्रयास किया गया। परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया कि दिनांक 09.08.2023 को समय रात्रि के 10:00 बजे विपक्षीगण जबर सिंह, रजनीकान्त व ओमकान्त उसके घर पर आये तथा उसके साथ मारपीट की। गॉव के लोगों के आने पर गाली–गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देकर चले गये। परिवादी ने अपने कथनों के समर्थन में धारा–202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत साक्षी पी0डब्ल्यू0–1 राजकुमार, पी0डब्ल्यू0–2 श्रीमती अनीता देवी व पी0डब्ल्यू0–3 विश्वनाथ को परीक्षित कराया गया है, जिन्होंने परिवाद पत्र में उल्लिखित घटना का समर्थन किया है।

इस प्रकार पत्रावली पर वर्णित तथ्यों, साक्षीगण पी0डब्ल्यू0–1, 2 व 3 के बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 तथा परिवादी के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला विपक्षीगण द्वारा उसके साथ घर में घुसकर मारपीट करने, गाली–गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने से सम्बन्धित प्रतीत होता है। परिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में सूची के साथ मेडीकल रिपोर्ट दाखिल की गयी है, जिसमें उसके शरीर पर सामान्य प्रकृति की चोटें आने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी/परिवादी का मेडिकल परीक्षण दिनांक 10.08.2023 को किया गया है। ऐसे में विपक्षीगण शिव सिंह, रजनीकान्त व ओमकान्त के विरूद्ध धारा–323,504,506,452 भा0दं0सं0 का अपराध बनना पाया जाता है। तद्नुसार विपक्षीगण शिव सिंह, रजनीकान्त व ओमकान्त के विरूद्ध धारा–323,504,506,452 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तलब किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया आधार पर्याप्त है।

## आदेश

अभियुक्तगण **शिव सिंह, रजनीकान्त व ओमकान्त** के विरूद्ध धारा–**323, 504, 506, 452 भा0दं0सं0** के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करे। अभियुक्तगण को सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी दिनांक 09.08.2024 को पेश हो।

**(प्रवीण सिंह)**
**सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0,**
**बिधूना, औरैया।**
**J.O. Code: UP3441**